

मुरिया जनजाति

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में नविस करने वाली **मुरिया/मुड़िया जनजाति** के पास दोनों राज्यों से प्राप्त मतदाता कार्ड हैं, एक उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिये है एवं दूसरा उनके जनम के संदर्भ और प्रमाण के लिये।

मुख्य बटु:

- यह बस्ती **नक्सलवाद** से प्रभावित आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा पर 'भारत के **रेड कॉरिडोर**' के भीतर स्थित है जो आरक्षित वन के भीतर स्थित एक मरूदयान (Oasis) है तथा यह बस्ती और नरिनीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले सख्त कानूनों द्वारा संरक्षित है।
- मुरिया बस्ती को **आंतरिक रूप से वसिथापति लोगों (IDP)** के नविस स्थान के रूप में जाना जाता है, जिनकी आबादी आंध्र प्रदेश में लगभग 6,600 है और यहाँ के मुरियाओं को मूल जनजातियों द्वारा '**गुट्टी कोया**' कहा जाता है।
- यह जनजाति **माओवादियों** और **सलवा जुडूम** के बीच संघर्ष के दौरान वसिथापति हुई थी।
- **मुरिया** भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले का एक मूल **आदवासी**, अनुसूचित जनजाति **दरवडि** समुदाय है। वे **गौडी** समुदाय का हिस्सा हैं।

सलवा जुडूम

- यह गैरकानूनी सशस्त्र नक्सलियों के खिलाफ प्रतिरोध के लिये संगठित **आदवासी व्यक्तियों का एक समूह है**। इस समूह को कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र द्वारा समर्थित किया गया था।
- **वर्ष 2011 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने नागरिकों को इस तरह से हथियार देने के खिलाफ नरिणय सुनाया और सलवा-जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया तथा **छत्तीसगढ़ सरकार को** माओवादी गुरलिलाओं से नपिटने के लिये वसिथापति किसी भी **मलिशिया बल को भंग करने का नरिदेश दिया**।

आंतरिक रूप से वसिथापति लोग (IDP)

- IDP ऐसे व्यक्तियों विशेष या **व्यक्तियों के समूह हैं जिन्हें पलायन करने** या अपने घरों या नविस स्थानों को छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है, विशेष रूप से सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव से बचने के लिये, सामान्य हिसा की स्थिति, मानवाधिकार या प्राकृतिक या मानव नरिमति आपदाओं का उल्लंघन और जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा को पार नहीं किया है